न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 21/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
1 चुन्नीलाल पुत्र गोमाराम जाति मेघवाल निवासी पालडी आर. तहसील सिरोही		1 सोमाराम पुत्र चेनाजी जाति मेघवाल निवासी पालडी आर तहसील सिरोही
2 देशाराम पुत्र हकमाराम जाति मेघवाल निवासी पालडी आर तहसील सिरोही		2 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही
3 पोसीदेवी पत्नी हकमाराम जाति मेघवाल निवासी पालडी आर तहसील सिरोही		
4 रगाराम पुत्र चमनाराम जाति मेघवाल निवासी पालडी आर तहसील सिरोही		

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री ऋषि माथुर, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री प्रकाश प्रजापत, विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांकः- 30/8/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 235/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा पालड़ी [illegible] के खसरा नम्बर 87 व 88 कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 0.9400 हैक्टेयर में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 809/77 रकबा 0.3200 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 76 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। खसरा नम्बर 76 की भूमि पर अपीलाण्ट का गत 40 वर्षों से कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 76 में से रास्ते का अनुतोष प्रदान किया है, जिससे खसरा नम्बर 76 की भूमि दो भागों में विभक्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट ने अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में भूमिगत पाईप लाईन बिछा रखी है, ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह दायित्व था कि वे भूमिगत पाईप लाईन को हटाये जाने के लिए रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध उचित आदेश पारित करते। अपीलाण्ट की भूमि का कुल रकबा 0.6100 हैक्टेयर है। जिसमें अपीलाण्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलाण्ट संख्या 4 का 1/3 हिस्सा होता है। जिससे तीनों ही अपीलाण्ट के हिस्से में मात्र 0.20 हैक्टेयर भूमि ही आती है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया है, जिसकी पालना की जाती है, तो अपीलाण्ट की भूमि काश्त योग्य शेष ही नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध था एवं रेस्पोडेन्ट परम्परागत रूप से खसरा नम्बर 75 के पास से आवागमन करते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को रेखांकित ही नहीं किया तथा जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन का कोई मार्ग नहीं होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच कर जैर अपील आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आदेश पारित करते हुए रास्ते का अनुतोष प्रदान किया गया है, जो विधि सम्मत है। रेस्पोडेन्ट परम्परागत रूप से खसरा नम्बर 76 एवं खसरा नम्बर 809 में से आवागमन करते है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा उक्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से जो रिपोर्ट तलब की, उसमें रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें वैकल्पिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

Scanned by CamScanner

मार्ग का अभाव एवं रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष प्रदान किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम पालड़ी (आर) के खसरा नम्बर 87 व 88 कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 0.94 हैक्टेयर की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम पालड़ी (आर) के खसरा नम्बर 809/77 रकबा 0.32 हैक्टेयर तथा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 0.3500 हैक्टेयर में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत खातेदारी भूमि में पहुँच हेतु रास्ता प्रदान करने के प्रावधान है, जिसके तहत मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं को विवेचित किया जाना आवश्यक होता है, जिस पर सम्पूर्ण प्रकरण आधारित होता है, वे बिन्दु इस प्रकार है – (1) रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, जो मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं हो, (2) वैकल्पिक मार्ग का अभाव एवं (3) निकटतम एवं लघुतम मार्ग। हस्तगत प्रकरण का इन तीनों बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर निम्न स्थिति प्रकट होती है –

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

(1) रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, जो मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं हो। इस बिन्दु के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 20.04.2018 को स्वयं मौका निरीक्षण किया गया। जिसमें वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जो सुविधाजनक उपयोग की श्रेणी में शुमार नहीं होता है, इस प्रकार प्रकरण में रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होती है।

(2) वैकल्पिक मार्ग का अभाव – इस बिन्दु के संबंध में परीक्षण करने पर वही स्थिति प्रकट होती है, जिसका विवेचन बिन्दु संख्या 1 में किया गया है। तदनुसार प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होता है।

(3) निकटतम एवं लघुतम मार्ग – चूंकि प्रकरण में स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार एवं पटवारी हल्का के साथ मौका जांच की गई है, जिसमें वांछित भूमि ही रेस्पोडेन्ट की भूमि एवं मार्ग के मध्य स्थित होने एवं निकटतम मार्ग होना साबित हुआ है।

इस प्रकार विशिष्ट रूप से नया मार्ग कायम करने हेतु जो आज्ञापक प्रावधान विधि में प्रदत्त किए गए है, उन प्रावधानों को प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा अपने पक्ष में बखूबी साबित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

Scanned by CamScanner

"absolute necessary" एवं "bsence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट इस कसौटी पर खरा उतरने में कामयाब हुए है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेर अपील आदेश के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रास्ते का अनुतोष प्रदान किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 235/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2018 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

Scanned by CamScanner